

ग्राम पंचायत तड़ौन, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग—एक

1 (क) प्रस्तावना:—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत तड़ौन, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र0	नाम	अवधि
1	श्रीमति कान्ता देवी	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री रमेश चन्द	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव:—

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2016 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत तड़ौन, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	नियम विरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे	—
2	7	नियमों के विरुद्ध बारह बैंक बचत खातों का खोला जाना	—

3	9	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना	0.81
4	13	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.08
5	14	अनुदान की राशि का अवरोधन	9.17
6	15	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	0.71
7	17	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.35
8	24	निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करना	0.02
9	26	खरीदी गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	0.80

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत तड़ौन, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27/03/2017 से 03/04/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 03/2014, 03/2015, 01/2016 व 03/2014, 03/2015, 01/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत तड़ौन, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना सं0अं. वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017-49 दिनांक 03/04/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षणोपरान्त उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क

की राशी हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार के चैक संख्या 419602 दिनांक 04-04-2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति:-

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

4.1 स्व स्रोत:-

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	111276	54961	166237	31259	134978
2014-15	134978	33428	168406	25900	142506
2015-16	142506	54454	196960	95928	101032

4.2 अनुदान:-

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	387275	1992391	2379666	1865908	513758
2014-15	513758	2032909	2546667	2052038	494629
2015-16	494629	1234858	1729487	812875	916612

5 बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत तड़ौन की रोकड़ बही अनुसार संकलित वित्तीय स्थिति की उपरोक्त ₹10,17,644 (101032+916612) की अन्तशेष की राशि का बैंक खातों में जमा विवरण तथा बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
-----	------	-----------------

रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति:-				
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)			101032
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)			916612
रोकड़ बहियों अनुसार अन्तशेष का कुल योग:				<u>1017644</u>
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष:-				
	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क'	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	2369	100439
2	पंचायत निधि-खाता 'ख'	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	2370	522688
3	मनरेगा	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	2731	30
4	इन्दिरा आवास योजना	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	4539	1243
5	राजीव/अटल आवास योजना	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	4540	38259
6	12वां वित्तायोग	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	3231	29997
7	13वां वित्तायोग	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	4545	331451
8	सांसद क्षेत्र विकास निधि	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	4541	628
9	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	4538	40653
10	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	4543	328
11	निर्मल भारत अभियान	हि0प्र0रा0स0 बैंक डंगार	5678	21746
12	स्वजल धारा	यूको बैंक दधोल	7363	71983
13	खाता 'क' की रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेष:			593
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योग:				<u>1160038</u>
बैंक समाधान विवरणी:-				
रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेष:				1017644
जमा:- वो चैक जो 31-03-2016 से पूर्व जारी किए गए थे परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं:-				
13वें वित्तायोग के बैंक खाता 4545 से जारी चैक संख्या 291402:			140000	
12वें वित्तायोग के बैंक खाता 3231 से जारी चैक संख्या 289633:			2394	
चैकों का कुल योग:				142394
रोकड़ बहियों का संशोधित शेष:				1160038
बैंक खातों अनुसार अन्तशेष:				1160038

6 नियमाविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में बारह अलग-अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन बारह रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 नियमों के विरुद्ध बारह बैंक बचत खातों का खोला जाना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत तड़ौन में दो के स्थान गत पैरा 5 में वर्णित बारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन दस अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत तड़ौन द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान प्रतिमाह करने के स्थान पर वर्षान्त में 31 मार्च को ही बैंक समाधान विवरणी बनाकर किया जाता है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में

नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 खाता 'ख' के ₹80,618 के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत तड़ौन के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹80618 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता	माह/वर्ष						कुल
संख्या	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	ब्याज
2370	4391	4427	4515	5479	4834	7627	31273
2731	1022	1687	276	76	19	11	3091
4539	0	484	158	257	18	326	1243
4540	199	4	4	4	332	216	759
3231	971	1009	1218	1226	776	664	5864
4545	1450	3078	5108	4282	5433	6190	25541
4541	0	64	386	177	12	12	651
4538	0	0	0	0	0	653	653
4543	175	41	4	34	12	62	328
5678	0	0	0	158	728	460	1346
7363	3695	1293	1368	1372	1423	718	9869
कुल योग	11903	12087	13037	13065	13587	16939	80618

10 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

11 नियमानुसार निवेश न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप-1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

12 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार

करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 पंचायत राजस्व ₹8,020 का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तड़ौन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹8,020 की वसूली शेष थी।

गृहकर:

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या: 2013—14 में 401, 2014—15 में 401 तथा 2015—16 में 401 परिवारों के लिए ₹50 प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	8020	8020	16040	0	16040
2014—15	16040	8020	24060	0	24060
2015—16	24060	8020	32080	24060	8020

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

14 अनुदान ₹9.17 लाख का अवरोधन:—

पंचायत द्वारा परिशिष्ट-1 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹9,16,612 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों

को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

15 बिना उचित बिलों के किया गया ₹0.71 लाख का संदिग्ध व्यय:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब-वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹70,936 के व्यय के विरुद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र0	दिनांक	रो.ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
12वां वित्तायोग:-				
1	20.3.14	21	रेत व बजरी	3000
2	20.3.14	21	ईंटें	8000
13वां वित्तायोग:-				
3	7.3.15	09	पत्थर, रेत व बजरी	21697
4	7.3.15	09	ईंटें	2250
5	7.3.15	09	पत्थर, रेत व बजरी	10051
सांसद क्षेत्र विकास निधि:-				
6	20.3.15	08	रेत व बजरी	25938
कुल योग:				<u>70936</u>

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्प्यूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तिकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत

द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करना:—

गत उप पैरा 15 में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की नमूना जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यो विशेषतः मनरेगा कार्यो के लिए सीमेंट तथा सरिया के अतिरिक्त खरीदी जाने वाली समस्त निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तिकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.35 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा हि0प्र0 ₹35,126 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	दिनांक	रो.ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
13वां वित्तायोग:—				
1	20.3.14	21	सरिया खरीद	4640
13वां वित्तायोग:—				
2	20.3.15	11	सरिया खरीद	30486

उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:—

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जाना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत तड़ौन में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

20 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप-3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों में से अधिकतर विशेषतः आर0टी0जी0एस0 बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोग:—

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत तड़ौन के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एक साथ कई रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	उपयोग
1	3001 – 3700 (8)	सामान्य निधि तथा अन्य
2	4601 – 4700	मनरेगा

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतः इन रसीद बुकों में उपलब्ध खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

22 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जाना:—

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:—

1. **अधूरा मस्ट्रोल रजिस्टर:—** पंचायत द्वारा मस्ट्रोल रजिस्टर का अनुरक्षण ही नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है क्योंकि इस अभिलेख के अभाव में जारी मस्ट्रोलों का कोई संकलित विवरण उपलब्ध नहीं है जिस कारण इनसे सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।
2. **अधूरे रोजगार कार्ड:—** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
3. **संलग्न परिशिष्ट '2' पर दर्ज टिप्पणी देकर पंचायत रोजगार सहायक व सचिव द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है कि मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का कोई अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹23,97,981 का समस्त व्यय तथा इसी परिशिष्ट अनुसार 8188 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।**

4. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना:**— हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस -1/2016-16-आर डी (पी आर सी) दिनांक 13-05-2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत तड़ौन द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का अभिलेखन नहीं किया जा रहा है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

- 23 **मनरेगा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की वाउचर फाइलों का अनुचित तरीके से रखरखाव:**—

मनरेगा अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर फाइलें सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्यविशेष के लिए अलग-अलग लगाई गई हैं। वाउचर फाइलों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरुद्ध है वरन् अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे में भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर फाइलें रखी गई हैं वही प्रक्रिया मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 24 **₹2125 की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करना:**—

अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान 'महिला मण्डल भख्यूंडा का निर्माण' के बिल की माप पुस्तिका संख्या 5724 पृष्ठ 91 पर अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ₹2125 के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत तथा भुगतान किया गया है:—

क्र	मद	निष्पादित मात्रा	मानक प्रमात्रा (घन फुट)		
		(घन मीटर)	सीमेन्ट (बोरी)	रेत	बजरी
1	1:6:12 सीमेंट कंक्रीट	2.57	5.65	42.61	80.70
2	1:2:4 आर सी सी	5.65	35.82	87.71	177.41

3	1:4:8 सीमेंट कंक्रीट	2.98	10.13	49.41	98.83
4	1:6 आर आर मेसनरी	6.52	10.76	80.51	---
5	1:6 ईट चिनाई	10.46	12.55	95.95	---
कुल योग:-			74.91	356.19	356.94
वास्तविक खपत:-			68.00	410.00	365.00
अधिक खपत:-			---	53.81	8.06
दर प्रति घनफुट				34.48	33.48
कुल अधिक भुगतान				1855.37	269.85

₹2125.22 अथवा ₹2125

उपरोक्त प्रकरण की जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा उचित स्रोत से अधिक किए गए भुगतान/खपत की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:-

ग्राम पंचायत तड़ौन में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में इन कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:-

- 25.1** इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
- 25.2** हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
- 25.3** निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार

पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 25.4** हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच (test check) सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरुद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

- 26 खरीदी गई ₹0.80 लाख के मूल्य की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना:—**

नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹79,716 की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है:—

क्र	दिनांक	रो बही	सामग्री	मात्रा	मूल्य	आपूर्तीकर्ता
		पृष्ठ			(₹)	
13वां वित्तायोग:—						
1	7.3.15	09	स्ट्रीट लाइटें	37	49230	मै. रेडियेन्ट हार्डवेयर, घुमारवीं
2	20.3.15	11	सरिया	6.125	किवंटल 30486	मै. ज्ञान चन्द बरोटा
कुल योग					79716	

खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न करना इस खरीद तथा इसके उपभोग का संदिग्ध बनाता है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 27 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्ट्रों का अधूरा रख रखाव:—**

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरूप स्थाई अथवा अस्थायी (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग-अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तड़ौन द्वारा स्टॉक रजिस्ट्रों का रखरखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तिकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उससे सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टर में अलग अलग कार्य के आधार पर प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए अलग पृष्ठ पर दर्ज किया गया है न कि सामग्री जैसे सरिया, सीमेन्ट, ईट, रेत, बजरी इत्यादि के लिए नियमानुसार अलग पृष्ठ आबन्धित करके। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थायी स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबन्धित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

28 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	—	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	15(1)
5	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 विविध अनियमितताएँ:-

- 30.1** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।
- 30.2** निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।
- 30.3** पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा

हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपतियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

32 निष्कर्ष:- लेखों के रख रखाव में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(xii)16/2017-खण्ड-1-4717-4720,
दिनांक-29.07.17 शिमला-09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत तड़ौन, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620046

